राजस्थान सरकार

हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर-302017

कमांक: एफ2(1)(1)रीपा/प्लान/2009/15029-171 दिनांक ~~09~~-02-2010 15

समस्त प्रमुख शासन सचिव /शासन सचिव, शासन सचिवालय, जयपुर ।
समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान ।
समस्त प्रबन्ध निदेशक, सार्वजनिक लोक उपक्रम, राजस्थान ।

विषय: अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन ।

महोदय,

राज्य की प्रशिक्षण नीति के कियान्वयन के लिए हरिश्चन्द्र माथुर राज्य लोक प्रशासन संस्थान के द्वारा सभी राजकीय विभागों तथा सार्वजनिक उपकमों को उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं के आंकलन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने से पूर्व उनके प्रस्ताव सहित बैठक में आमंत्रित किया जाता है । विभागों/उपकमों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संस्थान के द्वारा आगामी वर्ष के प्रशिक्षण केलेण्डर तैयार किये जाते है । इस कैलेण्डर के मध्यनजर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं । सभी विभागों/उपकमों से यह अपेक्षा की जाती है कि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अधिकारियों/कर्मचारीगण का मनोनयन करें ।

विभाग के ध्यान में यह लाया गया है कि कतिपय विभाग/उपकम प्रशिक्षण आयोजन किये जाने के लिए निजी प्रशिक्षण संस्थाओं से अनुबन्ध करते है । यह स्थिति उचित नही है । भविष्य में कोई भी विभाग/उपकम यदि उनके अधीन प्रशिक्षण संस्थानों के अतिरिक्त कोई प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कराना चाहे तो उन्हें सर्वप्रथम इस संस्थान को अनुरोध करना चाहिये । किन्हीं कारणों से यदि यह संस्थान प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित नहीं कर पायेगा, तो एक अनापत्ती प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके पश्चात संबंधित विभाग/उपकम अन्य संस्थानों से अनुबन्ध करने के लिए स्वतंत्र होगे ।

भवदीय,

(राजीव शर्मा)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं
निदेशक,

राजस्थान – सरकार

निदेशालय चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार – कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित / सामान्य / 2010 / 194 दिनांक : 23/3/10

प्रतिलिपि निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. समस्त कार्यक्रम अधिकारी, एन0आर0एच0एम0 / एड्स / आईडीएसपी / टीबी / स्वाइन फ्लू, मुख्यालय जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव (प्रशिक्षण) एवं निदेशक, हरिशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक 15029–171 दिनांक 15.02.10 के सन्दर्भ में।
3. प्रभारी, कम्प्यूटर सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख हैं कि उक्त पत्र को विभाग की वेबसाइट पर डलवाने की व्यवस्था करावें।
4. रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)